मेसर्स मोती लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड आदि

बनाम

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, अहमदाबाद

14 फरवरी, 1995

[आर. एम. साही, एन. पी. सिंह और के. एस. परीप्रनन, न्यायाधिपतिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 - धारा 35 - एल - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नमक नियम 1944 - नियम 9, 49 और 173 (1) जैसा कि 1979 में संशोधित किया गया था - शुल्क - उत्पाद शुल्क की अनुसूची में उल्लिखित वस्तु - चाहे वह देय हो - अभिनिर्धारित, नहीं - विपणन क्षमता का परीक्षण - उत्पादित या निर्मित वस्तुएं वास्तव में शुल्क को आकर्षित नहीं करती हैं - उन्हें विपणन योग्य या सक्षम या विपणन किया जाना चाहिए -आकर्षक रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का शुल्क।

अपीलार्थी लेमिनेटेड शीट के निर्माता और विक्रेता थे। शीटो के निर्माण की प्रक्रिया में अपीलकर्ताओं ने कच्चे माल को एक दूसरे के साथ और अन्य सामग्री के साथ संसाधित करके उपयोग किया । इस प्रक्रिया में फेनोल फॉर्मेल्डिहाइड का उत्पादन किया गया था। घोल को पात्र से उसकी अर्ध-संसाधित स्थिति में निकाला गया था और लैमिनेटेड शीट के निर्माण में आगे प्रसंस्करण के बिना इसका उपयोग किया गया था। चूंकि अपीलार्थियों द्वारा इसका विपणन या बिक्री नहीं की गई थी और घोल का केवल निजी तौर पर उपभोग किया गया था, इसलिए विभाग ने इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया। 1979 में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994 के नियम 9,49 और 173 (1) में संशोधन किया गया था, जिसके तहत उत्पादित या निर्मित आकर्षक रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर भी शुल्क लगाया गया था। नतीजतन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक ने नोटिस जारी किया कि नियमों में संशोधनों को देखते ह्ए फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामिने फॉर्मेल्डिहाइड श्ल्क के लिए उत्तरदायी थे। अपीलार्थियों ने दावा किया कि प्रतिक्रिया करने वाले मिश्रण न केवल अस्थिर थे जिनका जीवनकाल छोटा था, बल्कि वे उस रूप में विपणन योग्य नहीं थे, जब उन्हें एक सतत प्रक्रियामें मध्यवर्ती चरण में प्राप्त किया गया था, कि निर्माण में प्रक्रियाशील मिश्रण की आवश्यकता होती है और यह इन वस्त्ओं पर गर्मी और दबाव के उपयोग से लेमीनेटेड शीट की संरचना पर पूरा होता है सहायक कलेक्टर ने पाया कि मिश्रण, अर्थात्, राल और पानी का घोल स्थिर नहीं था, लेकिन यह माना गया कि केवल इसलिए कि घोल स्थिर नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था कि

अपीलार्थियों द्वारा उत्पादित रेज़िन माल नहीं थे। कलेक्टर (अपील) ने इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि घोल स्थिर नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उत्पाद श्ल्क योग्य होने के लिये एक मध्यवर्ती उत्पाद को बाजार या वाणिज्यिक सम्दाय के लिए ज्ञात उत्पाद होना चाहिए; और कि वर्तमान मामले में भले ही उत्पादों का उपयोग प्लास्टिक के लेमीनेटेड शीट के निर्माण के लिए किया जाता था और सिंथेटिक राल को एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में बनाया जाता था, लेकिन यह गैर-विपणन योग्य स्थिति में अस्थिर होने के कारण राल मिश्रण को केंद्रीय उत्पाद श्लक की शुल्क वस्तु 15 ए (1) के तहत उत्पाद शुल्क के रूप में नहीं माना जा सकता था। विभाग दवारा दायर आगे की अपील में न्यायाधिकरण ने कहा कि तीन चरणों में होने वाले रेजिन 'ए' स्तर पर हल किए जाने के अलावा और क्छ नहीं थे और इसका उल्लेख टैरिफ अन्सूची की मद 15-ए में किया गया था यह 'रासायनिक नामकरण' द्वारा कवर किया गया था । और इसलिए, यह श्ल्क के लिए समीचीन था; कि चूंकि 'अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित उत्पाद, 15-ए (1) के तहत आते हैं, इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका विपणन या बिक्री नहीं की गई थी; और यह कि' चूंकि इसे बनाया नहीं गया था, 'कि उत्पाद' को तत्काल उपयोग में लेने की आवश्यकता थी या अन्यथा यह माना जाता कि उत्पाद भले ही सक्षम हो, 'आगे संघनन या बह्लककरण 'एक निश्चित अंतिम उपयोग के लिए

निर्माण के एक निश्चित चरण तक पहुँच गया था और इसलिए,' इसे माल माना जाना था।' ये अपीलें न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं।

विभाग ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता द्वारा उत्पादित रेजिन या घोल को तकनीकी रूप से रिसोल्स के रूप में जाना जाता है और रिसोल्स मद 15 ए के तहत उल्लिखित वस्तुओं में से एक है, यह एक विशिष्ट वस्त् है, जो शुल्क के योग्य है और आम लोगों को संतुष्ट करने के लिये इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। क्योंकि यह एक रसायन था और एक उत्पाद नहीं था जिसे बाजार में आमतौर पर खरीदा और बेचा जाता था; कि एक बार यह पाया गया कि इसका निर्माण या उत्पादन किया गया था, तो इसे विपणन क्षमता की कसौटी को संत्ष्ट करने वाला माना जाना चाहिए और परिणामस्वरूप यह अधिनियम के अर्थ के भीतर उत्पाद श्ल्क योग्य था; कि विपणन क्षमता माल की प्रकृति पर निर्भर करती है और विपणन क्षमता की कसौटी और विपणन करने में सक्षम ऐसी वस्तुओं पर लागू नहीं की जा सकती है जो समाधान के रूप में हैं, इसका उल्लेख मद संख्या 15 ए में किया गया है।

विचार के लिए यह सवाल उठाया गया था कि क्या उत्पाद शुल्क की अनुसूची में उल्लिखित विभन्न वस्तुएं शुल्क योग्य है, या वे 'उत्पाद शुल्क योग्य सामान' केवल तभी होते हैं जब वे विपणन योग्य हो या विपणन करने में सक्षम होते हैं।

अपीलों को स्वीकार करते हुये, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. निर्मित या उत्पादित वस्तुओ पर केंद्रीय उत्पाद श्ल्क और नमक अधिनियम की सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 84 के तहत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। यही कारण है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत श्ल्क सभी 'उत्पाद श्ल्क योग्य वस्त्ओं', 'उत्पादित या निर्मित' पर है। अभिव्यक्ति 'उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं', को धारा 2 के खंड (डी) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट 'वस्त्' है। अन्सूची में माल को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करने की योजना है-एक, जिसके लिए अलग-अलग प्रविष्टियों के तहत दरों का उल्लेख किया गया है और दूसरा अवशिष्ट। इस विधि से सभी वस्त्ओं को या तो विशिष्ट या अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत उत्पाद श्ल्क के रूप में लगाया जाता है। अधिनियम में 'माल' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन इसे इस अर्थ में समझना होगा कि इसका उपयोग अन्सूची की प्रविष्टि 84 में किया गया है। यही कारण है कि धारा 3 अन्सूची में उल्लिखित सभी उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर शुल्क लगाती है बशर्ते वे उत्पादित और निर्मित हों। इसलिए, जहां माल अनुसूची में निर्दिष्ट किया

गया है, वे उत्पाद श्ल्क योग्य वस्त्एं हैं, लेकिन क्या ऐसी वस्त्ओं पर श्ल्क लगाया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वे उस व्यक्ति द्वारा उत्पादित या निर्मित किये गये थे जिस पर श्ल्क लगाने का प्रस्ताव है। 'उत्पादित या निर्मित' अभिव्यक्ति को आगे इस अर्थ में समझाया गया है कि इस तरह से उत्पादित वस्त्ओं को विपणन क्षमता की कसौटी को पूरा करना चाहिए। • नतीजतन, एक निर्धारिती के लिए यह साबित करने के लिए हमेशा ख्ला रहता है कि भले ही वह जिन वस्त्ओं में व्यवसाय कर रहा था, वे अन्सूची में उल्लिखित उत्पाद श्ल्क के अधीन नहीं थे, लेकिन वे श्ल्क के अधीन नहीं हो सकते थे क्योंकि वे माल नहीं थे क्योंकि या तो उनका उत्पादन नहीं किया गया था या इसके द्वारा निर्मित या इसके द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया गया था, उनका विपणन नहीं किया गया था या विपणन करने में सक्षम नहीं थे। [90 -बी-एफ]।

उत्पाद शुल्क का उत्पादन और निर्माण पर होने का अर्थ है एक नई वस्तु बाहर लाना, यह निहित है कि ऐसी वस्तुएं उपयोग करने योग्य, चल, बिक्री योग्य और विपणन योग्य होनी चाहिए। शुल्क निर्माण या उत्पादन पर है लेकिन उत्पादन या निर्माण ऐसे माल को बिक्री के लिए बाजार में ले जाने के लिए किया जाता है। उत्पाद शुल्क लगाने के लिए इसे उत्पादन या निर्माण से जोड़ने का स्पष्ट तर्क यह है कि इस प्रकार उत्पादित माल एक

विशिष्ट वस्तु होनी चाहिए जिसे सामान्य रूप से या वाणिज्यिक समुदाय के लिए खरीद और बिक्री के उद्देश्यों के लिए जाना जाता है। चूँकि उत्पादित घोल का उपयोग बिना किसी आगे के प्रसंस्करण या गर्मी या दबाव के उपयोग के नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे ऐसा सामान नहीं मानाजा सकता था जिस पर कोई उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। [90 - जी-एच]

2. हालांकि उत्पाद शुल्क वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर है, लेकिन नई वस्तु आदि लाने की पूरी अवधारणा विपणन क्षमता से जुड़ी हुई है। एक वस्तु आम बोलचाल में तब तक अच्छी नहीं होती जब तक कि उत्पादन या निर्माण द्वारा कुछ नया और अलग नहीं लाया जाता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इसलिए, उत्पाद शुल्क को आकर्षित करने के लिये किसी भी सामान को विपणन योग्यता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। वस्तुओं को विशिष्ट और सामान्य श्रेणी में रखने से शुल्क अनुसूची से शुल्क के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता है। शुल्क इसलिए आकर्षित नहीं किया जाता है क्योंकि कोई वस्तु किसी भी वस्तु में शामिल है या यह अवशिष्ट श्रेणी में आती है, बल्कि इसका उत्पादन या निर्माण किया गया होना चाहिए और यह खरीदने और बेचने में सक्षम है। [91 - एफ-एच, 92-ए]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक नियमों के नियम 9 और 49 में संशोधन के बाद उपभोगकी जाने वाली वस्त्यें श्लक के दायरे मे आ जाती है। ऐसी वस्त्ओ को उत्पाद श्ल्क योग्यन माननेका तर्क एक ही था कि चूंकि ऐसी वस्त्ओ खरीदने और बेचने के लिये आजार में नहीं लाया गया था, इसलिए उन पर श्ल्क नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन जब नियमों में संशोधन किया गया तो एक कल्पना बनाई गई कि उत्पादित या निर्मित कोई भी वस्त् यदि आकर्षक रूप से उपभोग की जाती है तो वह वैधानिक रूप से विपणन योग्यता की कसौटी पर खरा माना जायेगा। लेकिन इस धारणा का खंडन किया जा सकता है यदि यह स्थापित हो जाये कि उत्पादित की गई और आकर्षक आकर्षक रूप से उपभोग की गई वस्त् न तो वस्त् थी और न ही विपणन योग्य थी और न ही विपणन करने में सक्षम थी। श्ल्क किसी भी वस्त् के सीमित उपभोग से आकर्षित नहीं होता है, लेकिन यह अधिनियम के अर्थ के भीतर एक अच्छा होना चाहिए जो एक विशिष्ट नाम होने के अलावा विपणन योग्य या विपणन करने में सक्षम होना चाहिए। [94 - डी-ई]

3. वर्तमान मामले में, भले ही अपीलार्थियों द्वारा उत्पादित रेजिन मद 15 ए में उल्लिखित रिज़ॉल था, लेकिन उस पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अनुसूची में माल को निर्दिष्ट करने का उद्देश्य दोगुना है, एक, वह दर जिस पर शुल्क लिया जाएगा और दूसरा कि यदि माल विवरण को पूरा करता है और प्रविष्टि में शामिल है तो वे उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में भी यह स्थापित किया जा सकता है कि यह विपणन योग्य या विपणन करने में सक्षम था, इसलिए, इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। [94 - एच, 95-ए]

4. चूंकि विपणन क्षमता या विपणन योग्य होने का परीक्षण उन वस्तुओं पर भी लागू होता है जिनका उल्लेख प्रशुल्क मद में किया गया है- अपीलार्थियों द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती राल जिनका प्रशुल्क मद संख्या 15 के तहत रिसोल समाधान के रूप में उल्लेख किया गया, शुल्क के लिए बाध्य नहीं थे। [95 - डी]

इंडियन केबल कं. लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज कलकत्ता, (1994) 74 ईएलटी 22 (एससी); भारत संघ और अन्य बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. (1963) एस. सी. 791; साउथ बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड और अन्य आदि बनाम भारत संघ और अन्य आदि, एआईआर (1968) एससी 922; ए. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, हैदराबाद, [1994] 2 एस. सी. सी. 428; यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (1986) 24 ई. एल. टी. 169; भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सैंट्रल एक्साईज (1989) 40 ई. एल. टी. 280 (एस. सी.) और हिंदुस्तान पॉलीमीर बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साईज बनाम अंबालाल साराबाई एंटरप्राइजेज, (1989) 43 ई. एल. टी. 314, पर भरोसा व्यक्त किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 80/1988

ए. नं. ईडी/399/83-1987 का सी आदेश सं. 125-30 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 23.1.87 से।

डी. ए. दवे, आर. एन. करंजावाला, सुश्री माणिक करजावाला, भास्कर प्रधान और सुश्री रूबी आहूजा, एम. चंद्रशेखरन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और एस. डी. शर्मा, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय आर.एम. सहाई, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था। कानून का प्रश्न, जिसका निर्णय अंततः केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35-एल के तहत दायर इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के बारे में निर्णायक होगा कि क्या उत्पाद शुल्क की अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न वस्तुएं शुल्क योग्य है या वे अधिनियम में परिभाषित 'उत्पाद शुल्क योग्य सामान' होंगे, केवल तभी जब वे विपणन योग्य हो या विपणन करने में सक्षम हों। इस मुद्दे पर कानून उचित रूप से सुलझा हुआ प्रतीत होता है। हाल ही में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशो की पीठ में हममें से एक (माननीय के. एस. परिपूर्णन, न्यायाधिपित) इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कलकत्ता, (1994) 74 ई. एल. टी. 22 में न्यायाधिकरण के निर्णय को पलटते हुये बताया कि "निर्धारिती द्वारा नियोजित प्रक्रियाओं द्वारा पी. वी. सी. राल का पी. वी. सी. यौगिक में रूपांतरण, अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अर्थ के भीतर" निर्माण "के बराबर है, इसलिए, यह "उत्पाद शुल्क के साथ प्रभारित किया जाना था", अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि यह निष्कर्ष कि माल विपणन योग्य है, शुल्क लगाने के लिए एक पूर्व-आवश्यक या" अनिवार्य "है।

लेकिन इस पर ध्यान देने से पहले और संक्षेप में ध्यान दें कि इस पहलू पर कानून कैसे है विकसित हुआ है, लेकिन यह उल्लेख करना उचित है कि न्यायाधिकरण के समक्ष सटीक विवाद यह था कि क्या अपीलार्थी जो लैमिनेटेड शीट के निर्माता और विक्रेता हैं जो 28 फरवरी, 1986 से पहले प्रशुल्क अनुसूची में मद संख्या 68 के अंतर्गत आते हैं उनके द्वारा उत्पादित ऐसे मध्यवर्ती उत्पादों पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जैसे कि राल और पानी के घोल जो स्थिर नहीं थे, केवल इसलिए कि वे आकर्षक उपभोग किये गये थे। चूँकि कानून का प्रश्न

सामान्य है और सभी अपीलों में कमोबेश समान परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है, इसलिए प्रतयेक मामले में तथ्य देना आवश्यक नहीं है।

अपीलकर्ताओं ने शुल्क का भुगतान करने के बाद खुले बाजार से खरीदे गए कागज और अन्य रसायनों जैसे फिनॉल, औपचारिक निर्जालीकरण, हेक्सामाइन आदि सामग्री सिहत विभिन्न कच्चे पदार्थों से लेमीनेटेड शीट बनाई थीं। लैमिनेटेड शीटों के निर्माण की प्रक्रिया में अपीलकर्ताओं ने कच्चे माल का उपयोग उन्हें एक दूसरे के साथ और कास्टिक सोडा, मेथनॉल और हाइड्रो-क्लोरिक एसिड जैसी अन्य सामग्रियों के साथ संसाधित करके किया। इस प्रक्रिया में मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल, मेथनॉल, कास्टिक सोडा, हेक्सामाइन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फेनोल फॉर्मेल्डिहाइड का उत्पादन किया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा पाई गई फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

"फॉर्मेल्डिहाइड को एक प्रतिक्रिया पात्र में पंप किया जाता है और उसके बाद मैलामाइन मिलाया जाता है। इन दोनों सामग्रियों को हिलाया जाता है और उसके बाद प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए आवश्यक मात्रा में हाइड्रो-क्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। इसके बाद तापमान 80 डिग्री तक बढाया जाता है और उसके बाद 60 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे लाया जाता है। इस समय कास्टिक सोडा या मेथनॉल निर्धारित मात्रा में मिलाया जाता है। कभी-कभी

पानी को फॉर्मलडाइड से अलग किया जाता है, इस प्रकार जो घोल निकलता है वह अनवरत और निरंतर प्रतिक्रिया के अधीन होता है। हालांकि, यह घोल प्रतिक्रिया पोत से हटा दिया जाता है और इसकी अर्ध-प्रसंस्कृत स्थिति में लेमीनेटेड शीट में उपयोग किया जाता है।"

ऊपर वर्णित निर्माण की प्रक्रिया से, यह स्पष्ट है कि जो निकला वह निरंतर प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप घोल था और इसे अपनी अर्ध-संसाधित स्थिति में पात्र से बाहर निकाला गया था और लेमीनेटेड शीट के निर्माण में आगे प्रसंस्करण के बिना उपयोग किया गया था। चूंकि अपीलार्थियों द्वारा इसका विपणन या बिक्री नहीं की गई थी और घोल केवल आकर्षक रूप से एकत्रित किया गया था, इसलिए विभाग ने इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया। 1979 में, केंद्रीय उत्पाद श्ल्क नियम, 1944 के नियम 9,49 और 173 (1) में संशोधन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादित या निर्मित आकर्षक रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तुएं भी शुल्क योग्य हो गईं। नतीजतन, सेंट्रल एक्ससाइस के अधीक्षक ने नोटिस जारी किया कि नियमों में संशोधनों को देखते हुए फेनोल, फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड श्ल्क के लिए उत्तरदायी थे। अपीलकर्ताओं ने नोटिस का विरोध किया। यह दावा किया गया था कि प्रतिक्रिया करने वाले मिश्रण न केवल छोटे जीवन के साथ अस्थिर थे, लेकिन वे उस रूप में विपणन योग्य नहीं थे जिस रूप में उन्हें एक सतत प्रक्रिया में मध्यवर्ती

चरण में प्राप्त किया गया था। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि निर्माण में प्रतिक्रियाशील मिश्रण जारी रहा और यह इन वस्त्ओं पर गर्मी और दबाव डालने से लेमीनेटेड शीट का निर्माण पूरा ह्आ। सहायक कलेक्टर ने पाया कि मिश्रण, अर्थात् राल और पानी का घोल स्थिर नहीं था। लेकिन वह इस बात से सहमत नहीं थे कि केवल इसलिए कि घोल स्थिर नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था कि अपीलकर्ताओं द्वारा उत्पादित रेजिन सामान नहीं थे जैसे कि किसी स्टेबलाइज़र का उपयोग निरंतर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए किया गया था, जिसे बिक्री के उद्देश्य से बाजार में रखा जा सकता था। कलेक्टर (अपील) ने इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि घोल स्थिर नहीं थे, अपीलों को स्वीकार किया और माना कि एक मध्यवर्ती उत्पाद श्ल्क योग्य होने के लिए बाजार या वाणिज्यिक सम्दाय के लिए ज्ञात उत्पाद होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अंतर-मध्यस्थ उत्पाद जो अस्तित्व में आया, वह एक पूर्ण उत्पाद होना चाहिए जिसे बाजार के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर उत्पाद पर कुछ और किया जाना था ताकि इसे वाणिज्यिक सम्दाय के लिए ज्ञात रूप में लाया जा सके तो इसे उत्पाद श्ल्क के रूप में नहीं माना जा सकता था। कलेक्टर (अपील) ने कहा कि भले ही यह विवादित नहीं था कि उत्पादों का उपयोग प्लास्टिक लेमिनेटेड शीट के निर्माण के लिए किया जाता था और सिंथेटिक राल को एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में बनाया जाता था, लेकिन यह गैर-विपणन

योग्य स्थिति में अस्थिर होने के कारण राल मिश्रण को केंद्रीय उत्पाद शुल्क की शुल्क मद 15 (1) के तहत देय शुल्क योग्य नहीं माना जा सकता है। विभाग द्वारा दायर आगे की अपील में न्यायाधिकरण ने कहा कि भले ही विभाग द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष यह दावा नहीं किया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती सामान 'रिसोल' थे, लेकिन तीन चरणों में होने वाले रेजिन 'ए' स्तर पर समाधान के अलावा और कुछ नहीं थे और शुल्क अनुसूची की मद 15-ए में उल्लेख किए जाने के कारण यह 'रासायनिक नामकरण' द्वारा कवर किया गया था। और एक बार जब उत्पाद ने प्रविष्टि में रासायनिक विवरण का उत्तर दिया, तो यह शुल्क के लिए उपयुक्त था। इस प्रकार अपीलार्थियों के इस दावे को खारिज कर दिया गया कि यह माल नहीं था। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित उत्पाद 15-ए (1) के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका विपणन या बिक्री नहीं की गई थी। यह दावा कि माल का विपणन करने में असमर्थ था, खारिज कर दिया गया क्योंकि इस बात का कोई सब्त नहीं था कि 'उत्पाद स्थिर था', 'अस्थिर था और थोड़े समय के लिए भी भंडारण करने में सक्षम नहीं था'। न्यायाधिकरण ने कहा, "रेजिन के मामले में बह्त सारी किस्में थीं और इनकी व्यापक शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों या उससे भी अधिक तक होती है।" चूंकि यह नहीं बनाया गया था "िक उत्पाद" को तत्काल उपयोग में लेने की आवश्यकता थी या अन्यथा यह बेकार हो जाता या यह एक राज नहींरह जायेगा, यह माना गया िक कउत्पाद भले ही आगे संघनन या पोलीमराईजेशन में सक्षम हो, एक निश्चित अंतिम उपयोग के लिये निर्माण के एक निश्चित चरण तक पहुंच गया था और इसलिये, "इसे माल माना जाना था"। इस निष्कर्ष का कारण अपीलकर्ता के वकील की रियायत थी िक अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त रेजिन "15 दिनो तक रखा जा सकता है।"

इसिलए, पहली बार में, निर्धारणके लिये जो बात सामनेआती है, वह यह है कि क्या अपीलार्थियों द्वारा उत्पादित राल या विलयन को अधिनियम के तहत शुल्क लगाने के उद्देश्यों के लिए माल माना जा सकता है। भले ही विभाग ने अपीलार्थियों को जारी किए गए नोटिस में या न्यायाधिकरण द्वारा अपीलों की सुनवाई से पहले किसी भी स्तर पर यह दावा नहीं किया था कि अपीलार्थीगण द्वारा उत्पादित रेजिन रासायनिक रूप से रेजोल के रूप में जाना जाने वाला कुछ और नहीं बल्कि इसकी शुद्धता की जांच करने की आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि श्री दवे, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने निष्कर्षों पर निष्पक्ष रूप से चुनौती नहीं दी, बल्कि इसे स्वीकार कर लिया। प्रशुल्क अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 15 ए में आईटमो में से एक के रूप में रिजॉल का विशेष

रूप से उल्लेख किया गया है। इसकी मुख्य प्रविष्टि और स्पष्टीकरण -॥ नीचे दिए गए है:

वस्तु संख्या 15 ए- प्लास्टिक

वस्तु	प्रशुल्क विवरण	शुल्क की दर
संख्या		
15 ਦ	कृत्रिम या सिथेंटिक रेजिन और	यथामूल्य पचास
	प्लासिटक सामग्री; और नीचे निपर्दिष्ट	प्रतिशत
	अन्य सामग्री और वस्तुयें	
	1	
	2	
	3	
	4	
	स्पष्टीकरण ।:	
	स्पष्टीकरण ।।- उप मद (1) में	
	निम्नलिखित विवरणो में से एक का	
	उत्तर देते हुये केवल रासायनिक	
	संश्लेषण द्वारा उत्पादित एक प्रकार के	
	समान पर लागू होने के लिये संक्षेपण,	
	प्लॉयकॉन्डेंसेशन, पॉलीएडिशन,	
	पोलीमराईजेशन और सह-पोजीमराईजेशन	
	उत्पाद को लिया जाना चाहिये -	
	(v) कृत्रिम रेजिन सहित कृत्रिम	

प्लास्टिक
(बी) सिलीकोंस
(सी) रेसोल, तरल पॉलीआइसोब्युटिलीन,
और इसी तरह के
कृत्रिम प्लोय कंडेनसेशन या
पोलीमराइजेशन उत्पाद

न्यायाधिकरण के अनुसार, रिज़ॉल 'ए' स्तर पर राल का रासायनिक नाम है। यह माना गया था कि मिश्रण की प्रतिक्रिया के कारण निर्माण के दौरान फेनोल राल तीन चरणों में ह्आः

- " 1. रिज़ॉल या ए-चरण (संघनन की शुरुआत); राल के रूप में द्रव, घुलनशील, और अभी भी बहुत अधिक पानी होता है।
- रेज़िटोल या बी-स्टेज (निरंतर संघनन, मामूली क्रॉस-लिंक)
 अघुलनशील, रबड़।
- 3 . रेसिटॉल या सी-चरण (ठीक किए गए उत्पाद की अंतिम स्थिति); अद्रव्य और अघुलनशील "।

रासायनिक शब्दों की शब्दावली में: दूसरा संस्करणः क्लिफोर्ड ए. हैम्पेल, कंसल्टिंग केमिकल इंजीनियर और गेस्नर जी. हॉली, संपादकः संघनित रासायनिक शब्दकोश, 'फेनोल फॉर्मेल्डिहाइड राल' का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

पोलीमराइजेशन तीन चरणों या चरणों में होता है। पहला (ए-चरण) एक अल्कोहल-घुलनशील तरल है, दूसरा (बी-चरण) अर्ध-ठोस है और कम घुलनशीलः तीसरा (सी-चरण) कठोर, क्रॉस-लिंक्ड ठोस है। ए-स्टेज फॉर्म को रिज़ॉल्व कहा जाता है।

इस प्रकार 'ए' अवस्था में द्रव अवस्था में प्राप्त रिसोल एक ऐसा घोल था जिसे केवल कुछ स्टेबलाइज़र या रिटार्डर को जोड़कर ही बनाए रखा जा सकता था। अपीलकर्ताओं ने इसका उपयोग बिना किसी प्रसंस्करण या किसी स्टेबलाइज़र या रिटार्डर को जोड़े बिना अर्ध-तैयार चरण में लेमीनेटेड शीट वाली चादरों के निर्माण के लिए किया। यहां तक कि न्यायाधिकरण ने पाया कि 'ए' स्तर पर राल प्रक्रिया के दौरान प्राप्त एक समाधान था जिसका उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसमें कुछ स्टेबलाइज़र नहीं जोड़ा जाता। यह विवादित नहीं था कि अपीलार्थियों के अन्सार, इसका जीवनकाल दो या तीन दिनों के लिए था। लेकिन यह मानते ह्ए भी कि न्यायाधिकरण के समक्ष वकील द्वारा जो कहा गया था कि इसका जीवन 15 दिनों के लिए था, यह केवल तभी जीवित रह सकता है जब विनयमित और नियंत्रित तापमान बनाये रखा जाये। अन्यथा, जैसा कि रासायनिक परीक्षक द्वारा देखा गया है कि यह

स्वयं एक जेली में परिवर्तित हो जाता है जो किसी भी उपयोग के लिये अयोग्य हो जाता है। इसलिए, यह बहुत संदिग्ध है कि सहायक कलेक्टर द्वारा पाए गए तथ्य पर, कलेक्टर द्वारा पुष्टि की गई और न्यायाधिकरण द्वारा भिन्न नहीं, अपीलार्थियों द्वारा निर्माण के दौरान प्राप्त राल या रिसोल को माल माना जा सकता है।

उत्पाद शुल्क,सातवीं अनुसूची । की प्रविष्टि ८४ के तहत निर्मित या उत्पादित वस्त्ओं पर लगाया जाता है। यही कारण है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत शुल्क सभी, 'उत्पाद शुल्क', 'उत्पादित या निर्मित वस्त्ओं' पर है। 'उत्पाद श्ल्क' शब्द को धारा 2 के खंड (डी) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट 'वस्तु' है। अनुसूची में माल को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करने की योजना है-एक, जिसके लिए अलग-अलग प्रविष्टियों के तहत दरों का उल्लेख किया गया है और दूसरा अवशिष्ट। इस विधि से सभी वस्तुओं को या तो विशिष्ट या अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। (अधिनियम में 'माल' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा होना चाहिए। इसे इस अर्थ में समझा गया है कि इसका उपयोग अनुसूची की प्रविष्टि 84 में किया गया है। यही कारण है कि धारा 3 में प्रदान की गई अन्सूची में उल्लिखित सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क लगाती है बशर्ते कि वे उत्पादित और निर्मित हों। इसलिए, जहां अनुसूची में वस्तुओं को

निर्दिष्ट किया गया है, वे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं हैं, लेकिन क्या ऐसी वस्तुओं पर शुल्क लगाया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका उत्पादन या निर्माण उस व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिस पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। 'उत्पादित या निर्मित' अभिव्यक्ति को इस न्यायालय द्वारा आगे समझाया गया है जिसका अर्थ है कि इस तरह से उत्पादित माल को विपणन क्षमता की कसौटी को पूरा करना चाहिए। नतीजतन, एक निर्धारिती के लिए यह साबित करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि भले ही वह जिस माल का व्यवसाय कर रहा था, वह अनुसूची में उल्लिखित उत्पाद शुल्क के अधीन नहीं था, लेकिन वे शुल्क के अधीन नहीं हो सकते थे क्योंकि वे माल नहीं थे क्योंकि वे उसके द्वारा उत्पादित या निर्मित नहीं थे या यदि वे उत्पादित या निर्मित किए गए थे तो वे विपणन या विपणन करने में सक्षम नहीं थे।

उत्पाद शुल्क का उत्पादन और निर्माण पर होने का अर्थ है कि एक नई वस्तु को लाना, यह निहित है कि ऐसी वस्तुएं उपयोग करने योग्य, चलने योग्य, बिक्री योग्य और विपणन योग्य होनी चाहिए। शुल्क निर्माण या उत्पादन पर है लेकिन उत्पादन या निर्माण ऐसे सामानो को बिक्री के लिये बाजार में ले जाने के लिए किया जाता है। उत्पाद शुल्क लगाने के लिए इसे उत्पादन या निर्माण से जोड़ने का स्पष्ट तर्क यह है कि इस प्रकार उत्पादित माल एक विशिष्ट वस्तु होनी चाहिए जिसे आम बोलचाल में या वाणिज्यिक समुदाय के लिए खरीद और बिक्री के उद्देश्यों के लिए जाना जाता है। चूँकि जो घोल उत्पन्न किया गया था, उसका उपयोग बिना किसी आगे के प्रसंस्करण या गर्मी या दबाव के उपयोग के नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे ऐसी वस्तु नहीं माना जा सकता जिस पर कोई उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता था।

लेकिन विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि राल या घोल जिसे अपीलार्थी द्वारा उत्पादित किया गया था को तकनीकी रूप से घोल के रूप में जाना जाता था। शब्दकोश में इसके अर्थ पर विश्वास व्यक्त किया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्त्त किया कि श्ल्क अन्सूची ने वस्तुओं को विशिष्ट और सामान्य में विभाजित किया है। मद 15 ए के तहत उल्लिखित वस्त्ओं में से एक होने के कारण यह एक विशिष्ट वस्त् थी, इसलिए, एक बार जब यह पाया गया कि अपीलार्थियों द्वारा मध्यवर्ती उत्पादित वस्तुएं रिसॉल थीं, तब यह शुल्क के लिए अपेक्षित था और इसे आगे सामान्य बोलचाल परीक्षण को संत्ष्ट करने की आवश्यकता नहीं हो सकती थी, विशेष रूप से क्योंकि यह एक रसायन था न कि एक उत्पाद जिसे आमतौर पर बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। विदवान वकील ने आग्रह किया कि एक बार जब यह पाया जाता है कि इसका निर्माण या उत्पादन किया गया था, तो इसे विपणन क्षमता की कसौटी को संतुष्ट करने वाला माना जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप

यह अधिनियम के अर्थ के भीतर उत्पाद शुल्क योग्य माल था और न्यायाधिकरण को इस पर शुल्क लगाने में उचित ठहराया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विपणन क्षमता वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है, विपणन क्षमता का परीक्षण और विपणन किए जाने में सक्षम ऐसी वस्तुओं पर लागू नहीं किया जा सकता था जो तय की गई हों और इसलिए, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुत करना कि राल या तय की गई वस्तु पर शुल्क केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह पाया गया हो कि कच्चे माल से कोई नया पदार्थ निकाला गया था और यह इस तरह से जात था कि यह सही नहीं था क्योंकि एक बार अपीलकर्ताओं द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती वस्तु को तय किया गया था और मद संख्या 15 ए में इसका उल्लेख किया गया था कि विभाग का उत्तरदायित्व समाप्त हो गया था।

यद्यपि उत्पाद शुल्क वस्तु के निर्माण या उत्पादन पर है, लेकिन नई वस्तु आदि लाने की पूरी अवधारणा विपणन क्षमता से जुड़ी हुई है। एक वस्तु आम बोलचाल में तब तक वस्तु नहीं बन जाती जब तक कि उत्पादन या निर्माण द्वारा कुछ नया और अलग नहीं लाया जाता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। भारत संघ और अन्य बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. (1963) एस. सी. 791,

में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 'माल' शब्द का अर्थ लगाते हुए कहाः

"इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि "माल" बनना एक वस्तु है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो आम तौर पर बाजार में खरीदा और बेचा जाने के लिये आता है।"

इसिलए, उत्पाद शुल्क आकर्षित करने के लिए किसी भी वस्तु को विपणन क्षमता की कसौटी को पूरा करना चाहिए। माल को विशिष्ट अऔरसामान्य श्रेणी में रखने से शुल्क अनुसूची में उदग्रहण के मूल चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शुल्क इसिलए आकर्षित नहीं होता है कि कोई वस्तु किसी भी वस्तु से ढकी हुई है या यह अवशिष्ट श्रेणी में आती है, बिल्क इसका उत्पादन या निर्माण किया गया होना चाहिए और इसे लाया और बेचा जा सकता है। दक्षिण बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड और अन्न. आदि बनाम भारत संघ और अन्य आदि, ए. आई. आर. (1968), में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि :

"यह अधिनियम माल के निर्माण पर शुल्क लेता है। निर्माण शब्द का अर्थ परिवर्तन है लेकिन कच्चे माल में हर परिवर्तन विनिर्माण नहीं है। ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि एक नया और अलग वस्तु सामने आना चाहिये जिसका एक विशिष्ट नाम, चिरत्र या उपयोग हो। शुल्क माल पर लगाया जाता है। चूंकि अधिनियम माल को परिभाषित नहीं करता है, विधायिका को उस शब्द का उपयोग उसके सामान्य, शब्दकोश अर्थ में किया जाना चाहिये। शब्दकोशका अर्थ यह है कि माल बनने के लिये यह कुछ ऐसा होना चाहिये जो आम तौर पर बाजार में खरीदने और बेचने के लिये आते है और बाजार को इसकी जानकारी होती है। कि यह एक ऐसी वस्तु होगा जो अधिनियम को आकर्षित करेगी, भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, [1963] पूरक 1 एस. सी. आर. 586 = ए. आई. आर. (1963) एस. सी. 791" में लाया गया था।

ए. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद के कलेक्टर, [1994] 2 एस. सी. सी. 428 ने उसी सिद्धांत को दोहराया और कहा कि विपणन क्षमता आवश्यक है चाहे इसका विपणन किया गया हो या नहीं । इंडियन केबल (उपरोक्त) का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकार प्रशुल्क अनुसूची में उल्लिखित कोई भी वस्तु शुल्क को आकर्षित नहीं करती है जब तक कि विपणन योग्य या विपणन करने में सक्षम न हो। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (1989) 24 ई. एल. टी. 169 के मामले में विपणन क्षमता के परीक्षण में ढील दी गई थी। और यह अभिनिर्धारित किया गया कि "उत्पाद शुल्क को आकर्षित करने के लिए निर्मित वस्तु उपभोक्ता को बेचने में सक्षम होनी चाहिए"। जो सवाल उठा वह यह था कि क्या अपीलकर्ताओं

द्वारा निर्मित फ्लैशलाइट के लिए उत्पादित एल्यूमीनियम के डिब्बे माल थै। यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

"यहाँ सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा निर्मित एल्यूमीनियम के डिब्बे बनाए जाते हैं। अपीलार्थी उपभोक्ता को बिक्री करने में सक्षम हैं। उपयोग से पहले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में फ्लैशलाइट के केवलदो निर्माता है, अपीलार्थी उनमें से एक है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा तैयार एल्यूमीनियम के डिब्बे पूरी तरह से फलैशलाइट के निर्माण में उपयोग किये जाते है, और बाजार में एल्यूमीनियम के डिब्बजे के रूप में नहीं बेचे जाते है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि एल्यूमीनियम के डिब्बे, जिस बिंदु पर उत्पाद शुल्क लगाया गया हे, उस चरण में टॉर्च मे एक घटक के रूप में नियोजित होने में असमर्थ कच्चे और प्राथमिक रूप में बाहर निकलें। डिब्बे में तेज असमान किनारे होते है और टॉर्च केस बनाने में एक घटक के रूप में उनका उपयोग करने के लिये डिब्बे को ट्रिमिंग, थेडिंग और रिड्राईंग जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं से ग्जरना पडता है। डिब्बों को काटने, पिरोने और फिर से तैयार करने के बाद उन्हें रीड, बीड और एण्नोडाइज्ड या पेंट किया जाता है। यह केवल उस बिंद् पर है कि वे एक विशिष्ट और पूर्ण घटक बन जाते है, जो बैटरी कोशिकाओं के आवास के लिये फलैशलाइट केस के रूप में उपयोग करने और केस में एक बल्ब फिट करने में सक्षम होते है। हमे यह विश्वास

करना मुश्किल लगता है कि बाहर निकालने के तुरंत बाद जिस आहार और अधूरे रूप में वे मौजूद होते है, वह बाजार को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त है।"

इसे भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सैंट्रल एक्साईज, 1989 (40) ई.एल. टी. 280 एससी में समझाया गया था :

"हमे ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, प्रविष्टि में निर्दिष्ट सामान होने के लिये पहली शर्त यह थी कि निर्माण के परिणामस्वरूप, सामान अस्तित्व में आना चाहिये। वस्तुओं के माल होने के लिए इन्हें इस तरह के बाजार में जानना आवश्यक है या ये सामान के रूप में बाजार में बेचे जाने मे सक्षम होने चाहिये बाजार में वास्तविक बिक्री आवश्यक नहीं है, आकर्षक उपभोग में उपयोगकर्ता निर्धारक नहीं है, लेकिन वस्तुयें बाजार में बेची जाने में सक्षम होनी चाहिये या आजार में माल के रूप में जानी जाती है।"

यही हिन्दुस्तान पॉलिमर बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, 1989 (43)ई.एल. टी 165 में दोहराया गया था:

"उत्पाद शुल्क, जैसा कि दोहराया और समझाया गया है, निर्माण के कार्य पर एक शुल्क है। उत्पाद शुल्क कानून के तहत विनिर्माण वह प्रक्रिया या गतिविधिहै जो उन वस्त्ओ को अस्त्त्वि में लाती है जिन्हे बाजार में माल के रूप में जाना जाता है, और माल होने के लिये इनका होना अलग अलग होना, पहचाने जाने योग्य और इस प्रकार बाजार में जो ज्ञात है ऐसी विशिष्ट वस्तुयें; होना आवश्यक है। यह तभी और तभी होता है जब शुल्क लगाने के लिये विनिर्माण होता है। माल होने के लिए, यह आवश्यक था कि गतिविधि के परिणामस्वरूप, सामान अस्तित्व में आना चाहिये। वस्तुओं के माल होने के लिए, इन्हें बाजार में इस तरह से जाना जाना चाहिए और इन्हें आजार में इसी रूप में बेचे जानरे या बेचे जाने में सक्षम होना चाहिये।"

इसलिए विभाग के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित मध्यवर्ती उत्पाद रिजोल था और यह मद 15 ए के तहत उल्लिखित वस्तुओं में से एक है, शुल्क की अनिवार्यता के लिए बुनियादी और प्राथमिक परीक्षण की अनदेखी करता है। भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए सटीक तर्क को भोर इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में खारिज कर दिया गया था और उस मामले में न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया गया था क्योंकि "विपणन क्षमता या विपणन करने में सक्षम होने का परीक्षण" न्यायाधिकरण द्वारा लागू नहीं किया गया था।

कानून के विकास का पता लगाने के बाद कि उत्पादित या निर्मित किसी भी माल पर वास्तव में तब तक शुल्क नहीं लगता है जब तक कि

वे विपणन योग्य या विपणन करने में सक्षम न हों, अब हम आकर्षक रूप से खपत की जाने वाली वस्त्ओं की कर्तव्यनिष्ठा की जांच कर सकते हैं। 1979 से पहले ऐसी वस्त्ओं पर कोई श्ल्क नहीं लगाया जाता था। लेकिन, जैसा कि पहले कहा गया है, नियम 9 और 49 के संशोधन के बाद आकर्षक रूप से उपभोग की जाने वाली वस्त्एं श्ल्क के लिए अन्पय्क्त हो जाती हैं। ऐसी वस्त्ओं को उत्पाद श्ल्क के रूप में नहीं मानने का तर्क एक ही था कि चूंकि ऐसी वस्त्ओं को खरीदने और बेचने के लिए बाजार में नहीं लाया जाता था, इसलिए उन पर श्ल्क नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन जब नियमों में संशोधन किया गया तो एक कल्पना बनाई गई कि उत्पादित या निर्मित किसी भी वस्त् का यदि आकर्षक रूप से उपभोग किया जाता है तो उसे वैधानिक रूप से विपणन क्षमता की कसौटी को पूरा करने के लिए माना जाता है। लेकिन इस धारणा का खंडन किया जा सकता है यदि यह स्थापित किया जाता है कि उत्पादित और आकर्षक रूप से खपत की गई वस्त् न तो वस्त् थी और न ही विपणन योग्य थी और न ही विपणन करने में सक्षम थी। श्ल्क किसी भी वस्त् के आकर्षक उपभोग पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि यह अधिनियम के अर्थ के भीतर एक ऐसा माल होना चाहिए जो एक विशिष्ट नाम होने के अलावा विपणन योग्य या विपणन करने में सक्षम होना चाहिए। भोर इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में चमड़े के कपड़े, जूट मैटिंग और पीवीसी टेप के निर्माण में आकर्षक

उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतर-मध्यस्थ उत्पाद के रूप में अपीलार्थियों द्वारा निर्मित कच्ची पीवीसी फिल्मों को परीक्षण या विपणन क्षमता पर उत्पाद शुल्क नहीं माना गया था। कलेक्टर ऑफ सैट्रल एक्साईज बनाम अंबाला साराभाई एंटरप्राइजेज (1989) 43 ई. एल. टी. 214 में निर्माताओं ने स्टार्च हाइड्रोलाइसेट का उत्पादन किया, जिसका आकर्षक रूप से उपभोग किया जाता था और केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क की मद 1-ई के अंतर्गत आता था। इसे माल माना जाता था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह देखा गया कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट था कि माल विपणन योग्य नहीं था, परिणामस्वरूप शुल्क के लिए उपयुक्त नहीं था।

इस प्रकार यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि भले ही अपीलकर्ताओं द्वारा उत्पादित रेजिन जैसा कि मद 15 ए में उल्लेख किया गया है इसे शुल्क के अधीन नहीं किया जा सकता है। अनुसूची में माल को निर्दिष्ट करने का उद्देश्य दो गुना है, एक, वह दर जिस पर शुल्क लगाया जाएगा और दूसरा कि यदि माल विवरण को संतुष्ट करता है और प्रविष्टि में शामिल होता है तो वे उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में भी यह स्थापित किया जा सकता है कि यह विपणन योग्य या विपणन योग्य होने में सक्षम नहीं था, इसलिए उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। इस

पहलू पर निष्कर्ष पहले भी निकाले जा च्के हैं। सहायक कलेक्टर (उत्पाद शुल्क) ने पाया कि जब तक कुछ मंदक या स्थिरक नहीं जोड़ा जाता है, तब तक अस्थिर घोल विपणन योग्य नहीं होता है। यह मानते ह्ए भी कि ऐसा घोल 15 दिनों तक चल सकता है जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा पाया गया है जो विभाग की तब तक मदद नहीं करेगा जब तक कि यह आगे नहीं पाया जाता है कि यह एक ऐसी उपज थी जो विपणन योग्य या विपणन करने में सक्षम थी। कलेक्टर; सहायक कलेक्टर के इस निष्कर्ष से सहमत थे कि बिना किसी आगे की प्रक्रिया के समाधान का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यह भी विवादित नहीं है कि 15 दिनों का जीवन भी विशेष तापमान और गर्मी के रखरखाव पर निर्भर करता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि माल विपणन योग्य था या विपणन करने में सक्षम था। चूँकि विपणन क्षमता या विपणन योग्य होने में सक्षम होने का परीक्षण उन वस्तुओं पर भी लागू होता है जिनका प्रश्ल्क मदो में उल्लेख किया गया है, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती राल जिसे प्रश्लक मद संख्या 15 ए के तहत रिज़ॉल के रूप में उल्लिखित किया गया है, शुल्क के लिए बाध्य नहीं थे। न्यायाधिकरण का निष्कर्ष कि एक बार अपीलार्थियों द्वारा निर्मित उत्पाद ने प्रश्ल्क मद 15 ए के तहत उत्पाद के रासायनिक विवरण का जवाब दे दिया , तो उस पर श्ल्क का निर्धरण किया जा सकता है, चाहे वह

विपणन योग्य था या नहीं, इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, ये अपीलें सफल होती हैं और स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न का निर्धारण यह कहकर किया जाता है कि 'ए' स्तर में राल जिसे रासायनिक रूप से 'रिसोल' के रूप में जाना जाता है, पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अपीलार्थी अपने खर्चों के हकदार होंगे।

अपीलें स्वीकार की गई।

आर. ए.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।